

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक-एफ.1(98)परि./स्था./2013 पार्ट 11489  
आदेश

जयपुर, दिनांक 28/5/18

राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत उप परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से संयुक्त परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2017-18 की रिक्ति के लिए दिनांक 25.05.2018 को सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न को संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

1. श्री नानूराम चोयल

श्री चोयल को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिनांक 01.04.2017 व नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

(डॉ मनीषा अरोड़ा)  
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक-एफ.1(98)परि./स्था./2013 पार्ट 11490-99

जयपुर, दिनांक 28/5/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अति.निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव, राज.जयपुर।
6. श्री नानूराम चोयल, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, भरतपुर
7. सिस्टम एलालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी
9. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली
10. रक्षित पत्रावली

(डॉ मनीषा अरोड़ा)  
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)